प्रेस नोट–1

<u>कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर</u>

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

हत्या के मामले में फरार ईनामी अपराधी व पैरोल से फरार एवं संगीन मामलों में वांछित अपराधी को एसओजी जयपुर ने किया गिरफ्तार

विरेन्द्र सिंह चारण व देवेन्द्र सिंह शेखावत

जयपुर 14 मई। एसओजी द्वारा जिला चूरू थाना दूधवा खारा के हत्या के प्रकरण में 2 साल से फरार वांछित विरेन्द्र सिंह चारण और पैरोल से फरार अपराधी देवेन्द्र सिंह शेखावत को गिरफ्तार कर लिया गया है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, एटीएस एवं एसओजी, राजस्थान जयपुर, श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि थाना दूधवा खारा, जिला चूरू के प्रकरण संख्या 88/15 एसटी/एससी एक्ट, आर्म्स एक्ट के प्रकरण में वांछित अभियुक्त विरेन्द्र सिंह चारण पुत्र नरेन्द्र सिंह जाति चारण निवासी बोबासर, थाना सुजानगढ जिला चूरू करीब 2 साल से फरार चल रहा था। अभियुक्त के खिलाफ करीब एक दर्जन गम्भीर प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधानाधीन है।

श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि एसओजी के कानि0 नरेन्द्र सिंह, कानि0 राजेन्द्र व कानि0 रामलाल को सूचना मिली की उक्त ईनामी अपराधी विरेन्द्र सिंह चारण व पैरोल से फरार अपराधी देवेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र उम्मेद सिंह निवासी खिंवज, तहसील लाडनू, थाना डीडवाना जिला नागौर मय हथियार के चौमू पुलिया पर किसी आपराधिक घटना को अंजाम देने आने वाले हैं। इस पर श्री विजय राय पुलिस निरीक्षक के नेतृत्व में एक टीम का गठन कर बडी सूझ बूझ से घेराबन्दी कर चौमू पुलिया से मय हथियार व दो मैगजीन व सात जिन्दा कारतूस एंव एक मोटर साईकिल के गिरफ्तार किया।

श्री मिश्रा ने बताया कि पूछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि हत्या के प्रकरण में फरार होने पर विरेन्द्र सिंह चारण पर चूरू पुलिस द्वारा 5000/– रूपये का ईनाम घोषित किया हुआ है एवं देवेन्द्र सिंह चारण जेल से हत्या के प्रयास के प्रकरण में पैरोल पर छूट कर आने के बाद से फरार चल रहा है, इसके अतिरिक्त यह थाना रतनगढ चूरू के फोरच्यूनर लूट मामले व बीकानेर में फायरिंग व लूट के गम्भीर मामलों में फरार चल रहा था।

महानिरीक्षक पुलिस एसओजी श्री दिनेश एम0एन0 के अनुसार उपरोक्त मुल्जिमों से पूछताछ के दौरान सामने आया कि इनके कुछ साथी थाना करणीविहार इलाके में कनकपुरा में ठहरे हुए हैं। जिस पर एसओजी की टीम द्वारा कनकपुरा में दबिश दी गई। जहॉ चूरू व बीकानेर में कई गम्भीर मामलों का आरोपी रोहित गोदारा जिस पर लूट, आर्म्स एक्ट और जान से मारने के करीब एक दर्जन से अधिक मामले दर्ज हैं व उसका साथी शेर सिंह पेवा जिसके उपर चूरू के कुख्यात अपराधी

गजेन्द्र सिंह को पेशी के दौरान चालानी गार्ड पर मिर्च पाउडर फैंक कर फरार कराने में संदिग्ध भूमिका का संदेह है। इस संबंध में चूरू पुलिस को सूचित किया गया है।

उन्होंने बताया कि दोनों गिरफ्तार मुल्जिम को माननीय न्यायालय में पेश कर दो दिन के पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिम से पूछताछ जारी है।

प्रेस नोट–2

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर

(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

हरियाणा मार्का की अवैध अंग्रेजी शराब की 7 हजार 800 सौ बोतले कुल 650 पेटी सहित कन्टेनर जप्त

जयपुर 14 मई। अलवर के थाना खैरथल पुलिस ने आज मुखबीर की सूचना पर एक कन्टेनर जिसमे हरियाणा निर्मित अवैध 650 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है।

पुलिस अधीक्षक अलवर श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि अवैध शराब की तस्करी पर अंकुश लगाये जाने के लिए समस्त थानाधिकारीयो को निर्देश दिये जिस पर थाना खैरथल ने 14 मई, 2017 को थानाधिकारी मय जाप्ता द्वारा मुखबीर सूचना के अनुसार एक कन्टेनर हरियाणा निर्मित अवैध 650 पेटी अंग्रेजी शराब को बल्लभग्राम थाना खैरथल से जप्त किया गया।

श्री राहुल प्रकाश ने बताया कि चालक कन्टेनर को छोडकर मौके से फरार हो गया जिसकी तलाश की जा रही है। खैरथल से सिवाना रोड की तरफ एक कन्टेनर बंरग लाल आता दिखाई दिया उक्त कन्टेनर चालक हमराही नाकाबन्दी प्वाईन्ट से करीब 100 मीटर पहले ही बन्द करके छोडकर भाग गया। कन्टेनर नम्बर एच आर 67 सी 0715 की कैबिन में कोई नहीं मिला जिसकी कैबिन मे जाप्ता की मदद से चैक किया गया तो कन्टेनर से समबन्धित कोई कागजात नहीं मिले कन्टेनर की कैबिन में एक बिल बिल्टी परचूनी के समान की जो चण्डीगढ से मुम्बई की मिली चुंकि इतला मुखबीर खास ने दी थी अत– कन्टेनर में लगे ताले को गवाहन के समक्ष तोडकर चैक किया गया तो कन्टेनर मे खाकी रंग के कार्टुन जिनमे हरियाणा निर्मित शराब की बोतले जिन पर NAINA& PREMIUM WHISKY SALE FORE CHANDIGARH ONLY लिखा हुआ था। सभी कार्टून में एक ही ब्रान्ड भरा हुआ मिला मौके पर ही कन्टेनर मे भरी उक्त अवैध अग्रेजी शराब को निचे उतार कर गिनती की गई तो कुल 650 पेटिया भरी मिली। प्रत्येक पेटी मे 12 बोतले मिली इस प्रकार उक्त कन्टेनर मे अवैध हरियाणा निर्मित अग्रेजी शराब की 7800 बोतले मिली मौके पर उपस्थित जाप्ते की सहायता से फरार कन्टेनर चालक की तलाश की गई परन्तू

फरार कन्टेनर चालक रात्रि का समय होने से नहीं मिला । पुलिस अधीक्षक द्वारा टीम के प्रत्येक सदस्यो को एक एक हजार रूपये का ईनाम देने की घोषणा की है ।

प्रेस नोट–3

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

प्रदेश में विभिन्न अपराधों में 567 गिरफ्तार

जयपुर, 14 मई। पुलिस द्वारा जिलों में विभिन्न गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों को पकडने का अभियान चला रखा है। जिसके अन्तर्गत पुलिस ने प्रदेश में गत सप्ताह विभिन्न अपराधों में 567 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया हैं।

इस सम्बन्ध में राज्य के सभी पुलिस अधीक्षकों को विडियों कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा महिलाओं के साथ छेडछाड, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त, जुआ व सट्टे खेलने वाले एवं अवैध हथियार रखने वालों पर तत्परता से कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस मुख्यालय द्वारा दिये गये थे।

पुलिस ने राज्य में महिलाओं के साथ छेडछाड करते पाये गये 2 व्यक्तियों, शराब तस्करी एवं अवैध विक्रय में लिप्त 171 व्यक्तियों, जुआ व सट्टे खेलने वाले 308 व्यक्तियों एवं अवैध हथियार रखने वाले 86 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस द्वारा विभिन्न अपराधों में गिरफ्तार 567 व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर आगे नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।

राही/सन्तरा/388–90/2017

नोटः– उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in** पर भी उपलब्ध है।